न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 24/2016 (2016/00112) जिला–नागौर

जीविका पुत्री जयराम जाति जाट निवासी आसपुरा जरिये संरक्षक पिता जयराम पुत्र राजूराम जाट आसपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।

———अपीलार्थी

बनाम

1. खेमाराम पुत्र गोरधनराम
2. लिछमनराम पुत्र गोरधनराम
3. पतासी देवी उर्फ रूपादेवी पुत्री गोरधनराम
4. रतनीदेवी पत्नी गोरधनराम
5. गुलाब देवी पुत्री गोरधनराम
6. जमना देवी पुत्री गोरधनराम
7. पूनम पुत्री गोरधनराम
   समस्त जाति जाट निवासीगण कुचामनसिटी जिला नागौर।
8. ग्राम पंचायत रूपपुरा टोरड़ा पंचायत समिति कुचामनसिटी जरिये सरपंच।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश तहसीलदार, कुचामनसिटी दिनांक 23–12–2015
अन्तर्गत प्रकरण संख्या 06/2014

————

उपस्थित– 1. श्री दिनेश साहू अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री गोविन्द शर्मा, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2

निर्णय

दिनांकः 23–01–23

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रूपपुरा टोरडा के खसरा नम्बर 923, 924 व 927 कुल रकबा 9.27 हैक्टर के खातेदार काश्तकार गोरधनराम थे जिनकी मृत्यु उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण संख्या 370 ग्राम पंचायत रूपपुरा टोरडा पंचायत समिति कुचामनसिटी द्वारा वर्तमान अपीलार्थी जीविका पुत्री

जयराम के नाम दिनांक 20–11–2012 को स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 370 दिनांक 20–11–2012 के विरूद्ध खेमाराम वगैरह ने एक अपील उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी के समक्ष प्रस्तुत की जिन्होंने एकपक्षीय सुनपवाई कर नामान्तरकरण संख्या 370 दिनांक 20–11–2012 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रतिप्रेषित कर दिया जिस पर तहसीलदार ने सभी प्रभावित पक्षकारें को तलब कर सुनवाई की जिसके पश्चात तहसीलदार ने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23–12–2015 को आदेश पारित कर तथाकथित वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण अपीलार्थी के स्थान पर खेमारम व लिछमनराम पुत्रान गोरधनराम जाति जाट के हक में नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम पर कथन किया है कि तहसीलदार, कुचामनसिटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–12–2015 की जानकारी सर्वप्रथम तब हुई जब अपीलार्थीया अपने प्रकरण की पेशी पूछने के लिए अपने अभिभाषक के पास दिनांक 25–1–2016 को गई तब अभिभाषक ने बताया कि आपके प्रकरण का निर्णय दिनांक 23–12–2015 को हो चुका है इसलिए आपको उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर अजमेर जाकर अपील प्रस्तुत करनी पड़ेगी जिसके पश्चात उसी दिन नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा नकल प्राप्त कर अविलम्ब अजमेर आकर अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलार्थी राजकीय अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल

द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में उल्लेखित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार कुचामनसिटी ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय इस विधिक बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि ग्राम पंचायत रूपपुरा टोरड़ा ने मजमेआम में गोरधनराम पुत्र रूपाराम के फौत होने पर उसकी दोहिती जीविका पुत्री जयराम के नाम नामान्तरकरण संख्या 370 दिनांक 20–11–2012 स्वीकृत किया था जो विधिसम्मत था और उस दिन विपक्षी के पास किसी प्रकार का कोई वसीयतनामा नहीं था। ग्राम पंचायत रूपपुरा टोरडा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 370 दिनांक 20–11–2012 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने नामान्तरकरण निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रतिप्रेषित कर दिया। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने वसीयत दिनांक 12–9–2012 के आधार पर उक्त आराजी का अंकन प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय इस विधिक बिन्दु को नजर अन्दाज कर दिया कि ग्राम पंचायत रूपपुरा टोरड़ा ने मजमेआम में नामान्तरकरण संख्या 370 दिनांक 20–11–2012 पारित किया था उस दिन विपक्षीगण को उक्त नामान्तरकरण की पूर्ण जानकारी थी उसके बाद तथाकथित वसीयतनामा तैयार करवाकर बदनियतीपूर्वक प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने उक्त नामान्तरकरण को चुनौती दी है जबकि तथाकथित वसीयतनामा प्रथमदृष्टया ही सन्देहपूर्ण लग रहा है। चूंकि अगर उनके पास वसीयत होती तो वे दिनांक 20–11–2012 को ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करते परन्तु उन्होंने बाद में बदनियतीपूर्वक तथाकथित वसीयत तैयार करवाकर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर विवादित आदेश दिनांक 23–12–2015 पारित किया गया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि विवादित आराजियात के मूल खातेदार गोरधनराम पुत्र रूपाराम की मृत्यु होने के बाद उसकी पुत्री गंगादेवी के हक हिस्से की आराजी बाबत नामान्तरकरण संख्या 370 दिनांक 20–11–2012 जीविका पुत्री जयराम के पक्ष में स्वीकृत किया गया था चूंकि गंगा देवी पुत्री गोरधनराम की मृत्यु दिनांक 8–1–2010 को हो चुकी थी। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने विरासत का नामान्तरकरण संख्या 370 दिनांक 20–11–2012 सही रूप से स्वीकृत किया गया था जिसको उपखण्ड अधिकारी ने निरस्त कर तहसीलदार को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जिसकी पालना में तहसीलदार ने तथाकथित वसीयत के आधार पर अपीलार्थी के हक अधिकारों से वंचित कर दिया। तहसीलदार ने उक्त प्रकरण बाबत सुनवाई

की तो अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायलय तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–12–2015 निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 370 दिनांक 20–11–2012 को बहाल रखे जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने कथन किया कि मौजा ग्राम रूपपुरा टोरड़ा के खसरा नम्बर 923, 924, 927 कुल रकबा 9.64 हैक्टर बारानी द्वितीय राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर में स्थित कृषि भूमि के खातेदार गोरधनलाल पुत्र रूपाराम जाति जाट ने उपपंजीयक कार्यालय कुचामनसिटी में क्रम संख्या 113/94 के जरिये अपनी स्वअर्जित आय से क्रय की थी और श्री गोरधनराम अपने क्रय शुदा आराजी पर बहैसियत काबिज काश्त होकर काश्त करने लगे। श्री गोरधनराम ने अपने जीवनकाल में दिनांक 12–9–2012 को प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में क्रयशुदा कृषि भूमि के संबंध में एक वसीयतनामा निष्पादित कर इस खेत की वसीयत दोनों पुत्र खेमाराम–लिक्ष्मनराम पिसरान गोरधनराम जाति जाट निवासी कुचामनसिटी के हक में वसीयत कर दी जो नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवईगई है जो उनके रजिस्टर क्रमांक 210/12 दिनांक 12–9–2012 पर दर्ज है। विवादित आराजियत के खातेदार गोरधनराम की मृत्यु उपरान्त उसके सभी खातेदारी अधिकार विधिअनुसार उसी दिन प्रत्यर्थीगण के पक्ष में निहित हो गये और प्रत्यर्थीगण बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करते है और परिवार सहित निवास करते आ रहे है। गोरधनराम की मृत्यु उपरान्त प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को खातेदारी अधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से जानबूझकर पतासी देवी उर्फ रूपा देवी पत्नी गोरधनराम, गुलाब देवी, जमना देवी, पूनम पुत्रियां गोरधनराम जाति जाट जीविका पुत्री जयराम जाति जाट निवासी आसपुरा के नाम सरपंच ग्राम पंचायत रूपपुरा टोरड़ा द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही की है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि सरपंच ग्राम पंचायत रूपपुरा टोरड़ा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 370 दिनांक 29–11–2012 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 4–2–2014 से निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार कुचामनसिटी को अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण को गुणावगुण पर सुनवाई कर विधिअनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर दिया। गोरधनराम द्वारा प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में निष्पादित वसीयत दिनांक 12–9–2012 पर माता, व बहिनों के हस्ताक्षर किये हुए है। अतः तहसीलदार, कुचामनसिटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–12–2015 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया

जिससे यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 39 के तहत कोई खातेदार आसामी अपनी भूमि क्षेत्र में अपने हित या हितान्ष को उस व्यक्तिगत कानून के तहत जिसके वह अधीन है, अंतिम इच्छा पत्र के द्वारा वसीयत में दे सकता है। उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 के अनुसार यदि कोई हिन्दु व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का निस्तारण अपनी इच्छा अनुसार करने का हकदार हो तो वह अपनी सम्पत्ति का इच्छा पत्र या अन्य वसीयत व्ययन कर सकता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार वसीयत वसियतकर्ता की विधिक घोषणा है। जिसके अन्तर्गत वह अपनी सम्पत्ति को अपनी मृत्यु के पश्चात उसकी इच्छानुसार व्यवस्थित करता है । इसी अधिनियम की धारा 63 के अनुसार वसीयत का अनुप्रमाणित होना आवश्यक है । वसीयत या अन्य दस्तावेजों के निष्पादन का अर्थ निष्पादनकर्ता द्वारा अनुप्रमाणक साक्षी के समक्ष हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर सुपुर्द कर देना है । वसीयत का पंजिकृत होना आवश्यक नहीं है, इसलिए वसीयत को अनुप्रमाणित कराना आवश्यक होता है। अभिलेख पर उपलब्ध वसीयत दिनांक 12–9–2012 पर गवाहों के हस्ताक्षर है एवं उसे नोटेरी पब्लिक द्वारा भी प्रमाणित किया हुआ है। इससे स्पष्ट है कि श्री गोरधनराम द्वारा अपनी स्वअर्जित आराजियात की वसीयत प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में निष्पादित की है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जब गोरधनराम के विधिक वारिसान उनके पुत्र प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 मौजूद है तो गोरधनराम की दोहिती के नाम सरपंच ग्राम पंचायत रूपपुरा टोरडा को नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जाना चाहिए जबकि सरपंच को गोरधनराम के विधिक वारिसानों की जांच उपरान्त फौती का नामान्तरकरण तस्दीक करना चाहिए। गोरधनराम की मृत्यु के उपरान्त वसीयत दिनांक 12–9–2012 के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार, कुचामनसिटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–12–2015 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–12–2015 अन्तर्गत राजस्व प्रकरण संख्या 06/2014 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर